# न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

**पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आर.ए.एस.**

**प्रकरण सं0 : 44/2018**

**अनवान :-**

बलवन्त उर्फ बुधराम पुत्र निहालसिह जाति धाणक निवासी मलखेड़ा तहसील भादरा।

**– सायल**

**बनाम**

1. पप्पुराम पुत्र माडुराम जाति धाणक निवासी मलखेड़ा तहसील भादरा।
2. नानकोर पत्नी माडुराम जाति धाणक निवासी मलखेड़ा तहसील भादरा।
3. सावित्री पुत्री माडुराम जाति धाणक निवासी मलखेड़ा तहसील भादरा।
4. रामी पुत्री माडुराम जाति धाणक निवासी मलखेड़ा तहसील भादरा।
5. राजो पुत्री माडुराम जाति धाणक निवासी मलखेड़ा तहसील भादरा।
6. फुली पुत्री माडुराम जाति धाणक निवासी मलखेड़ा तहसील भादरा।
7. चांदकोर पुत्री माडुराम जाति धाणक निवासी मलखेड़ा तहसील भादरा।
8. बन्तो पुत्री माडुराम जाति धाणक निवासी मलखेड़ा तहसील भादरा।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।
10. उपपंजीयक छानीबड़ी/भादरा तहसील भादरा।

**– गैरसायल**

**दरख्वास्त अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत।**

**उपस्थिति :** वकील श्री मुन्शीराम गोस्वामी **: सायल**

वकील श्री भानुप्रताप **: गैरसायलान**

निर्णय **दिनांक : 23.8.18**

संक्षेप में दरख्वास्त के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मोजा चक 18 एएमएस के खाता संख्या 50/51 के मु.न. 46 किला नं. 6 व 15/1, मु.न. 47 किला नं. 1, 2, 3/2, 4, 8 ता 11 की 1.765 हैक्टर नहरी बारानी मय रास्ता की खातेदारी कृषि भूमि व चक 1 एसडीआर के खाता संख्या 45/64 के मु.न. 50 किला नं. 5, 6, 15 मु.न. 51 किला नं. 10 व 11 कुल 1.240 हैक्टर बारानी मय रास्ता की खातेदारी कृषि भूमि वादी के दादा माडुराम की खातेदारी हुआ करती थी। सायल के दादा माडुराम का देहान्त हो चुका है।

सायल के दादा माडुराम के देहान्त होने पर उक्त दोनों खातों की खातेदारी सायल व गैरसायल सं. 9 ता 11 को संयुक्त रूप से 1/9 हिस्सा एवं गैरसायल सं. 1 ता 8 को संयुक्त रूप से 8/9 हिस्सा के रूप में विरासतन में प्राप्त हुई थी। गैरसायलान सं. 2 ता 8 ने वादी के दादा के देहान्त होने पर उनके बाहरवें की रश्म पर ही अपना हक हिस्सा सायल व प्रतिवादीगण सं. 9 ता 11 को आधा हिस्सा एवं गैरसायल पप्पु को आधा हिस्सा तर्क कर अपना हक

हिस्सा शून्य कर लिया था जिस पर कुल भूमि सायल व उसकी माता तथा बहनों को 1/2 हिस्सा व गैरसायल पप्पु को 1/2 के रूप में प्राप्त हो गई थी। गैरसायल सं. 4 ता 8 ने वादभूमि में अपना हक हिस्सा सायल व प्रतिवादीगण सं. 9 ता 11 को आधा हिस्सा एवं आधा हिस्सा गैरसायल पप्पु के पक्ष में दस्तबरदारी दिनांक 10.07.2015 को उपपंजीयक छानीबड़ी के समक्ष निष्पादित करवा दी थी। जिसके आधार पर गैरसायल सं. 4 ता 8 के नाम दर्ज भूमि चक 1 एसडीआर में उक्त दस्तबरदारी के आधार पर सायल व गैरसायल सं. 1 तथा प्रतिवादीगण सं. 9 ता 11 के नाम दर्ज हो गई परन्तु चक 18 एएमएस की वादभूमि का दस्तबरदारी के आधार पर इन्तकाल दर्ज नही कर दिनांक 31.05.2018 को सीधा विरासतन इन्तकाल दर्ज कर दिया गया जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 11 के नाम दर्ज कर दी गई।

इस प्रकार गैरसायल सं. 2 ता 8 के द्वारा अपने हक हिस्सा की भूमि में अपना हक हिस्सा तर्क कर दिये जाने के चलते सायल व उसकी माता व बहनों को 1/2 हिस्सा व गैरसायल पप्पु का 1/2 हिस्सा के रूप में प्राप्त हो गई परन्तु रिकार्ड माल में गैरसायलान का नाम दर्ज चला आ रहा है। जिससे सायल के खातेदारी अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

ऐसी स्थिति में न्यायालय से यह घोषणा करवाने का अधिकारी है कि वादभूमि रोही मोजा चक 18 एएमएस के खाता संख्या 50/51 के मु.न. 46 किला नं. 6 व 15/1, मु.न. 47 किला नं. 1, 2, 3/2, 4, 8 ता 11 की 1.765 हैक्टर नहरी बारानी मय रास्ता की खातेदारी कृषि भूमि व चक 1 एसडीआर के खाता संख्या 45/64 के मु.न. 50 किला नं. 5, 6, 15 मु.न. 51 किला नं. 10 व 11 कुल 1.240 हैक्टर बारानी मय रास्ता की खातेदारी कृषि भूमि में सायल व प्रतिवादीगण सं. 9 ता 11 संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा के अनुसार व गैरसायल सं. पप्पु 1/2 हिस्सा के अनुसार खातेदार काश्तकार है तथा गैरसायलान सं. 2 ता 8 का वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही है।

गैरसायल सं. 2 ता 8 गैरसायल सं. 1 के बहकावे एवं असर में है तथा गैरसायल सं. 2 ता 8 के नाम वादभूमि दर्ज करवा रखी है तथा अब उक्त वादभूमि जो गैरसायल सं. 2 ता 8 के नाम दर्ज है, उसे केवल अपने पक्ष में दस्तबरदारी या अन्य तरीके से अपने नाम दर्ज करवाने पर आमादा है। गैरसायलान सं. 3 ता 8 ने वादभूमि के संबंध में वादी के पक्ष में दस्तबरदारी निष्पादित भी करवा रखी है परन्तु राजस्व रिकार्ड में अभी भी उनके नाम दर्ज चली आ रही है तथा गैरसायल सं. 1 व 2 ने मौखिक रूप से अपना हक हिस्सा तर्क किया था जिसके चलते अब गैरसायलान उक्त भूमि को खुर्द बुर्द करने पर आमादा है। ऐसे में सायल गैरसायलान सं0 1 ता 8 के खिलाफ ताफैसला दावा इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने का अधिकारी है कि वादभूमि को रहन बैय या दीगर तरीके से हस्तान्तरण नही करे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया नोटिस तामील होने के उपरान्त गैरसायल सं0 1 ता 8 ने जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अतिरिक्त कथन किया कि "सायल द्वारा अनवान सदर का दावा व दरख्वास्त फर्जी, मनगडन्त एवं काल्पनिक तथ्यों के

उपखण्डाधिकारी

आधार पर पेश किये है तथा सायल व गैरसायल सं. 1 तथा प्रतिवादीगण सं. 9 ता 11 ने दुरभी संधी कर रखी है इसलिये सायल व गैरसायल सं. 1 व प्रतिवादीया सं. 9 ता 11 गैरसायल सं. 2 ता 8 की खातेदारी भूमि हड़प करना चाहते है। सायल न्यायालय में क्लीन हैण्ड नही आया है। इस कारण न्यायालय से कोई सहायता प्राप्त करने का अधिकारी नही है। सायल ने माननीय न्यायालय सक सही तथ्यों को छुपाया है। अतः जवाब दरख्वास्त मय शपथ पत्र पेशकर अर्ज है कि दरख्वास्त मय हर्जा–खर्चा खारिज किये जाने के आदेश सादर फरमावे।

विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद भूमि माडुराम के मृत्यु के पश्चात उसके वारिसान को प्राप्त हुई। वारिसान द्वारा किसने किसके पक्ष में कितना व क्या हक त्याग किया इसका निर्धारण मूल वाद में साक्ष्य के आधार पर किया जाना है। वादभूमि में पक्षकारान के मध्य हक हिस्सा का निर्धारण किया जाना है। वादभूमि की हक हिस्सा को मुन्तकिल किए जाने से वाद निरन्तरता व वाद कलिष्टता की सम्भावना ये इन्कार नही किया जा सकता। हस्तगत प्रकरण में यह स्थिति प्रार्थी व अप्रार्थीगण सभी के संदर्भ में लागू होती है कि किसी भी एक पक्ष द्वारा वादभूमि को मुन्तकिल किए जाने से दूसरे पक्ष को अपूरणीय क्षति की सम्भावना है, इसलिए वादभूमि को वाद निस्तारण तक सुरक्षित रखा जाना आवश्यक है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट का स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता व रोही मोजा चक 18 एएमएस के खाता संख्या 50/51 के मु.न. 46, 47 की कुल 1.765 हैक्टर एवं चक 1 एसडीआर के खाता संख्या 45/64 के मु.न. 50, 51 की कुल 1.240 हैक्टर नहरी कृषि भूमि में उभय पक्षकरान प्रार्थी व अप्रार्थीगण सं. 1 ता 8 के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला अर्जीदावा वाद इस अमर की जारी की जाती है कि उक्त वादभूमि को रहन बैय व अन्य दीगर तरीके से मुन्तकिल न करे व अप्रार्थीगण 9 व 10 के विरूद्ध ताफैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा इस अमर की जारी की जाती है कि वादभूमि के संबंध में कोई दस्तावेज निष्पादित व पंजीकृत न करे।

आदेश आज दिनांक को 23.8.18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़